द्वारा फैक्स/ईमेल

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।


कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स

पुलिस मुख्यालय(सिग्नेचर बिलिडिंग) पंचम तल, टावर–1 गोमतीनगर विस्तार फेज–2 लखनऊ।

(फैक्स नम्बर–0522–2724030, ईमेल–logisticoffice4@gmail.com


संख्याः लॉजि0–उ0नि0आर0(पदोन्नति)–2022 दिनांकः ~~अगस्त~~ 01-09-2022

सेवा में,

1–अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस अकादमी मुरादाबाद
2–अपर पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ
3–अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0 महानगर लखनऊ।
4–अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
5–अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
6–अपर पुलिस महानिदेशक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, उ0प्र0 लखनऊ।
7–अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
8–अपर पुलिस महानिदेशक, पीटीएस गोरखपुर/मुरादाबाद/सीतापुर/ उन्नाव/पीटीएस मेरठ/ पीटीसी मुरादाबाद/ पीटीएस सुल्तानपुर/पीटीएस जालौन/एपीटीसी सीतापुर/ मिर्जापुर।
9–अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन्स उ0प्र0।
10– पुलिस आयुक्त, लखनऊ/ गौतमबुद्वनगर/वाराणसी एवं कानपुर
11–पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0।
12–पुलिस अधीक्षक, समस्त राजकीय रेलवे, उ0प्र0।
13–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ।
14–समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
15–समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी उ0प्र0।
16–सेनानायक, 11वीं वाहिनी पीएसी/केन्द्रीय रिजर्व सीतापुर।
17– निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।

**विषयः–** मुख्य आरक्षी आरमोरर से उप निरीक्षक, आरमोरर के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु संशोधित बोर्ड प्रपत्र–29 (कालम–51) में सूचना अद्यावधिक चरित्र पंजिका/जॉच/विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित सी0बी0सी0आईडी0/ए0सी0ओं0/ईओडब्ल्यू/ **सतर्कता अधिष्ठान अद्यावधिक सूचना/विवरण एवं स्वघोषणा पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्धमें।**

कृपया उपर्युक्त विषयक लाजिस्टिक्स कार्यालय के समांक पत्र दिनांक 09.05.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उप निरीक्षक आरमोरर के भर्ती/चयन वर्ष 2022 (01.07.2022 से 30.06.2023) तक के रिक्त पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के अपेक्षानुसार पात्र कर्मियों की बोर्ड प्रपत्र–32 (कालम–56) में सूचना अद्यावधिक ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता अधिष्ठान आदि का अद्यावधिक विवरण व स्व–घोषण पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

2– उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पुलिस भर्ती, एवं प्रोन्नति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आरमोरर संवर्ग का बोर्ड प्रपत्र संशोधित कर दिया गया है, तथा शासनादेश संख्याः4/2022/13(4)2021/का–1–2022 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही में ज्येष्ठता आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रकिया में बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीन प्रपत्र–29 (कालम–51) में चरित्र पंजिका सहित उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

3– प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य आरक्षी आरमोरर की अनन्तिम वरिष्ठता सूची पूर्व में संलग्न भेजी गयी है, उक्त सूची से सभी मुख्य आरक्षी आरमोरर को सूचित करा दिया जाय तथा यदि किसी कर्मी को अपने वरिष्ठता के संबंध में कोई आपत्ति हो तो उनका प्रत्यावेदन अपनी स्पष्ट आख्या सहित **दिनॉकः** 15.09.2022 तक प्रत्येक दशा में लॉजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि आपत्तियों का निवारण कर अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जा सके।

4– प्रोन्नति के लिए अर्ह कार्मिकों के **वर्ष–2017 से 2021 तक** के सेवाअभिलेखों की प्रविष्टियां प्रपत्र–29 (कालम–51) में अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु **कट ऑफ डेट 01.07.2022** होगी। उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्राप्त बोर्ड प्रपत्र–29 (कालम–51) को भरे जाने के संबंध में भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। प्रपत्र–29 (कालम–51) में सूचनां **A-3** पेज पर **LandScape** में माईक्रोसाफट एक्सेल में **Kruti Dev 010 Fonts** में तैयार की जाय। बोर्ड प्रपत्र पर संबंधित लिपिक, प्रधान लिपिक, सीओ आफिस व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर व नाम/पदनाम की मोहर अवश्य लगी होनी चाहिये।

5– अतः मुख्य आरक्षी आरमोरर की संलग्न अनन्तिम वरिष्ठता सूची के कमांक–1 से 26 तक के मुख्य आरक्षी आरमोरर के प्रपत्र–29 (कालम–51) में सूचना मय घोषणा–पत्र व अद्यावधिक चरित्र पंजिका **दिनॉकः 15.09.2022** तक प्रत्येक दशा में सम्बन्धित सहायक के माध्यम से पैन ड्राइव सहित लॉजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त पत्र/शासनादेश दिनांक 06.05.2022 उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट UP Police Units-Logistics-Circuler पर भी अपलोड है। साथ ही इस आशय का प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध कराया जाये कि वॉछित सूचना में शासनादेश संख्याः4/2022/13(4)2021/ का–1–2022 दिनांक 06.05.2022 में दिये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन कर लिया गया है। जिन जनपदों/इकाईयों के बोर्ड प्रपत्र/चरित्र पंजिका लाजिस्टिक्स कार्यालय को पुराने बोर्ड प्रपत्र के अनुसार भेजी गयी हैं, उनको विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

**संलग्नकः यथोपरि।**

02/9/2022

**(बालेन्दु भूषण सिंह)**
पुलिस उपमहानिरीक्षक, लाजिस्टिक्स
नि0–पुलिस महानिदेशक,लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।

2–पुलिस महानिरीक्षक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

3–पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, सी0बी0सी0आई0डी0/ए0सी0ओ0/ई0ओ0डब्लू/ सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध से प्रेषित है, कि मुख्य आरक्षी आरमोरर की पूर्व में भेजी गयी संलग्न पात्रता सूची में अंकित कर्मियों के विरूद्व आपकी इकाई में यदि जांच प्रचलित/लम्बित है, की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

———

संख्या- 4/2022/13(4)2021/का-1-2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 06 मई, 2022

**विषयः- राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु 'ज्येष्ठता' आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है किः-

1.1- कार्मिक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2908-का-1-83 दिनांक 22 मार्च 1984 के प्रस्तर-2(1) के अनुसार 'ज्येष्ठता' के आधार पर चयन की प्रक्रिया निम्नवत् हैं: -

"(1) अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन की प्रक्रियाः-

(क) इस सिद्धान्त के तहत रिक्तियों को देखते हुए उनके अनुपात में निर्धारित संख्या के पात्रता क्षेत्र के अधिकारियों के नामों पर वरिष्ठता क्रम में विचार किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम वरिष्ठतम अधिकारी के नाम पर विचार कर उसे उपयुक्त या अनुपयुक्त घोषित करने के बाद दूसरे तथा तीसरे और आगे इसी प्रकार के अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाना चाहिये जब तक रिक्तियों की तुलना में वांछित संख्या में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो जाये। जब प्रोन्नति के लिये वांछित संख्या में अधिकारी उपलब्ध हो जायें तब उसके बाद के अधिकारियों के नामों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(ख) इस सिद्धान्त के आधार पर प्रोन्नति हेतु संबंधित अधिकारियों की, प्रोन्नति के पद के ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि की प्रविष्टियां देखी जाय और यदि वैसी अवधि 10 वर्ष से अधिक हो तो केवल अंतिम 10 वर्ष की प्रविष्टियां देखी जाय।"

1.2 विभिन्न न्यायालय के निर्णयों में यह सिद्धान्त निर्धारित हो चुका है कि विभागीय चयन समिति को चयन हेतु अभ्यर्थियों की उपयुक्तता (Suitability) के समुचित मानको के निर्धारण हेतु अपनी प्रक्रिया तथा ढंग (Method & Procedure) निर्धारित करने का अधिकार है। चयन समिति अनेक उपलब्ध अभिलेख तथा सामूहिक विवेक (Collective Wisdom) के आधार पर अपनी संस्तुति करती है।

1.3 मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्यायालयीय वादों (Court Case) में यह निर्देश और सिद्धान्त (Instructions and Rulings) दिये गये है कि पदोन्नति हेतु चयन के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता /अनुपयुक्तता का विनिश्चय करने हेतु, विभागीय चयन सनिति निष्पक्ष मूल्यांकन हेतु, अपनी विधियों (Own Methods) एवं प्रक्रियाओं (Procedures) का निर्धारण करने हेतु, अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कतिपय वादों में पारित महत्वपूर्ण निर्णय/संवीक्षाएं संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः-

(a) In A.K. Narula case (AIR 2007 SC 2296), the Hon'ble Supreme Court has observed:

"the guidelines give a certain amount of play in the joints to the DPC by providing that it need not be guided by the overall grading recorded in the CRs, but may make its own assessment on the basis of the entries in the CRs. The DPC is required to make an overall assessment of the performance of each candidate separately, but by adopting the same standards, yardsticks and norms. It is only when the process of assessment is vitiated either on the ground of bias, malafide or arbitrariness, the selection calls for interference. Where the DPC has proceeded in a fair, impartial and reasonable manner, by applying the same yardstick and norms to all candidates and there is no arbitrariness in the process of assessment by the DPC, the court will not interfere".

(b) In Union of India vs. K.V. Jankiraman case(AIR 1991 SC 2010), the Supreme Court has taken cognizance of role of DPC the case of an officer on whom a penalty has been imposed and has held that:

"An employee has no right to promotion. He has only right to be considered for promotion. The promotion to a post and more so, to a selection post, depends upon several circumstances. To qualify for promotion, the least that is expected of an employee is to have an unblemished record. That is the minimum expected to ensure a clean and efficient administration and to protect the public interest. An employee found guilty of misconduct cannot be placed on par with the other employees, and his case has to be treated differently In fact, while considering an employee for promotion his whole record has to be taken into consideration and if a promotion committee takes the penalties imposed upon the employee into consideration and denies him the promotion, such denial is not illegal and unjustified."

(c) In UOI & Anr. Vs. S.K. Goel & Ors. (Appeal (Civil) 689/2007 -SLP0-2410/ 2007), the Hon'ble Supreme Court has held that:

"DPC enjoyed full discretion to devise its method and procedure for objective assessment of suitability and merit of the candidate being considered by it. Hence interference by High Court is not called for. "While delivering the above judgement, the Division Bench has observed that: "...it is now more or less well settled that the evaluation made by an Expert Committee should not be easily interfered with by the Court which do not have the necessary expertise to undertake the exercise that is necessary for such purpose."

1.4 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के नियम-5(2) में 'ज्येष्ठता' के चयनों को निम्नवत् परिभाषित किया गया हैं:-

"यदि किसी सेवा नियमावली में या तो 'ज्येष्ठता' (Seniority) अथवा "ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता" (Seniority and Fitness) या "अनुपयुक्त की अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता" ( Seniority Subject to the rejection of unfit ) अथवा किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

मानदण्ड की व्यवस्था हो, जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में ज्येष्ठता को आधार मानने पर मुख्यतः बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात्" अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता" ( Seniority Subject to the rejection of unfit ) के मानदण्ड का पालन किया जायेगा।"

2- कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2908-का-1-83, दिनांक 22 मार्च 1984 के प्रस्तर-2(1) के अनुसार 'ज्येष्ठता' के आधार पर चयन की कार्यवाही किये जाने में मुख्यतः निम्नांकित कठिनाईयां अनुभव की जा रही हैं:-

(1) प्रोन्नति के पद के ठीक नीचे के पद पर कार्य करने की अवधि की प्रविष्टियां देखे जाने की व्यवस्था व्यवहारिक रूप से सदैव प्रभावी नहीं रह जाती है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि विभिन्न सोपानिक पदों पर पदोन्नति के अवसर जल्दी-जल्दी आते रहते है और कभी-कभी एक-दो वर्ष बाद ही अगले पद पर पदोन्नति का विचारण किये जाने का अवसर उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में मात्र एक-दो वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर 'उपयुक्त' या 'अनुपयुक्त' घोषित किया जाना औचित्यपूर्ण एवं तर्कसंगत नही है।

(2) पदोन्नति (उपयुक्त/अनुपयुक्त) में वर्गीकरण किये जाने के कोई सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत न होने के कारण चयन समितियों द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों में, बिना किसी विशिष्ट कारण के भी, एकरूपता नहीं रह पाती है।

3- उपर्युक्त के दृष्टिगत ज्येष्ठता आधारित चयनों को वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी करने के उद्देश्य से विभागीय चयन समिति के उपयोगार्थ निम्नलिखित सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त/व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

3.1 ज्येष्ठता आधारित पदोन्नति पर विचारण करते समय केवल पोषक पद की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा वरन् सम्पूर्ण सेवा अभिलेखों को संज्ञान में लिया जा सकता है किन्तु विशेष ध्यान पदोन्नति के पूर्व के पद/पदों की पॉच वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों एवं अन्य सुसंगत सेवा अभिलेखों पर दिया जायेगा।

3.2 अन्तिम 05 वर्षो का अभिप्राय संबंधित चयन वर्ष से ठीक 05 वर्ष पूर्व की अवधि के अभिलेखों से होगा। उदाहरण के लिए चयन वर्ष 2021-2022 में यदि चयन 31 दिसम्बर, 2021 के पूर्व सम्पन्न होगा, तो इसके लिए मुख्य रूप से वर्ष 2015-2016 से वर्ष 2019-2020 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों एवं अन्य अभिलेखों आदि का संज्ञान लिया जायेगा तथा 31 दिसम्बर, 2021 के बाद सम्पन्न होने वाले चयनों हेतु मुख्य रूप से वर्ष 2016-2017 से वर्ष 2020-2021 तक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों एवं अन्य अभिलेखों आदि का संज्ञान लिया जायेगा।

3.3 दीर्घ शास्तियों (Major Penalties) में से निम्नांकित दो दीर्घ शास्तियों के अधिरोपित होने की दशा में ही सम्बंधित कार्मिक सेवा में बना रहता है तथा उसकी पदोन्नति पर विचारण किये जाने का अवसर उत्पन्न होता है:-

(1) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि का रोकना (Withholding of increments with cumulative effect).

(2) किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना (Reduction to a lower post or grade or time scale or to a lower stage in a time scale).

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3.3.1 संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि के रोके जाने की दशा में संबंधित कार्मिक को दण्डादेश पारित होने के बाद सम्पन्न होने वाले प्रथम तीन चयन वर्षों में अनुपयुक्त(Unfit) /अधिक्रमित (Supercede) किया जायेगा।

परन्तु सम्बंधित कार्मिक हेतु पारित दण्डादेश में यदि कोई नियत समयावधि अंकित है (यथा एक या अधिक वर्षों हेतु संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोका जाना) तो उतने चयन वर्षों में सम्बंधित कार्मिक को 'अनुपयुक्त' घोषित किया जायेगा और उस कार्मिक को तब तक पदोन्नत नही किया जायेगा जब तक दण्ड में उल्लिखित अवधि समाप्त न हो जाये।

परन्तु यह भी कि संबंधित कार्मिक रिक्तियों की उपलब्धता एवं ज्येष्ठता होने के बावजूद दो बार अनुपयुक्त(Unfit) /अधिक्रमित (Supercede) किया जाए।

3.3.2 किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति का दण्ड दिये जाने की स्थिति में, दण्डादेश जारी होने की तिथि को पदावनति के पद पर कार्यरत कनिष्ठतम कार्मिक की पदोन्नति के उपरान्त ही, ऐसे पदावनत कार्मिक की पदोन्नति पर विचारण किया जायेगा।

3.4 प्रत्येक लघु शास्ति हेतु संबंधित कार्मिक को दण्डादेश पारित होने के उपरान्त सम्पन्न होने वाले प्रथम एक चयन वर्ष में अनुपयुक्त(Unfit) /अधिक्रमित (Supercede) किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि संबंधित कार्मिक रिक्तियों की उपलब्धता एवं ज्येष्ठता होने के बावजूद एक बार अनुपयुक्त(Unfit) /अधिक्रमित (Supercede) किया जाए।

परन्तु यह और कि यदि संबंधित कार्मिक को किसी विनिर्दिष्ट अवधि ( For a certain period) के लिए वेतनवृद्धि रोके जाने का दण्ड दिया गया है तो उस कार्मिक को तब तक पदोन्नत नही किया जायेगा जब तक कि उक्त दण्ड में उल्लिखित समयावधि समाप्त न हो जाये।

3.5 यदि किसी कार्मिक को भिन्न-भिन्न प्रकरणों में पृथक-पृथक दीर्घ/लघु शास्तियॉ दी गयी है तो ऐसे कार्मिक की पदोन्नति पर विचारण करते समय भिन्न-भिन्न शास्तियों का पृथक-पृथक प्रभाव माना जाएगा।

3.6 यदि किसी कार्मिक को किसी दण्डादेश अथवा किसी अन्य प्रतिकूल तथ्य के विद्यमान रहते पूर्व के पदों/पोषक पद पर पदोन्नति प्राप्त हो गयी हो तो उक्त दण्डादेश /प्रतिकूल तथ्य को पदोन्नति हेतु विचारण किये जाने में संज्ञान में नही लिया जायेगा।

3.7 जिस वर्ष में वार्षिक प्रतिकूल/असंतोषजनक/खराब प्रविष्टि/विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि रखी गयी है उस वर्ष में उक्त कार्मिक को पदोन्नत नही किया जायेगा। प्रत्येक दो वर्षों की प्रतिकूल, खराब/असंतोषजनक/विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु, रिक्तियों की उपलब्धता एवं ज्येष्ठता होने के बावजूद प्रथम एक चयन में अनुपयुक्त(Unfit) /अधिक्रमित (Supercede) किया जाएगा।

3.8 यदि किसी कार्मिक की किसी वर्ष विशेष की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित/संदिग्ध/ रोकी गई (With held) है तो सम्बंधित चयन वर्ष में उसकी पदोन्नति नहीं की जाएगी किन्तु यदि उसके अगले वर्ष/वर्षों में सत्यनिष्ठा प्रमाणित है तो ऐसी अप्रमाणित/संदिग्ध/ रोकी गयी सत्यनिष्ठा को पदोन्नति पर विचारण करते समय प्रतिकूल नहीं माना जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3.9 विचारण अवधि 05 वर्षों (60 माह) में से 24 माह से अधिक की प्रविष्टियां पूर्ण न होने की दशा में, चयन आस्थगित (Defer) किया जायेगा एवं अंतिम तीन वर्ष (36 माह) में से 12 माह से अधिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अपूर्ण/अप्राप्त होने की दशा में भी चयन आस्थगित (Defer) किया जायेगा।

परन्तु यदि सम्बंधित कार्मिक के निलंबित रहने, किसी प्रविष्टिकर्ता प्राधिकारी (प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता) द्वारा 03 माह से अधिक का कार्य न देखे जाने, उनके सेवानिवृत्त, पदमुक्त, निलंबित होने आदि के कारण प्रविष्टियों का अंकन सम्भव नहीं हो पाया है तो ऐसी अवधि को उक्तानुसार आस्थगन हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

4- संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि सभी प्रतिकूल प्रविष्टियों का नियमानुसार संसूचन करते हुए, प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के उपरान्त ही विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की जाय। उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2012-2013 एवं उसके पश्चात् की सभी प्रकार की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-36/1/78-का-2/2013, दिनांक 01.02.2013 सपठित शासनादेश संख्या-36/1/78-का-2, दिनांक 29.01.2014 की व्यवस्थानुसार संसूचित करते हुए, प्राप्त प्रत्यावेदनों का नियमानुसार निस्तारण करने के उपरान्त ही चयन समिति की बैठक आयोजित की जाय।

5- प्रायः चयन समितियों की बैठक आहूत होने की तिथि को पात्रता क्षेत्र में शामिल कतिपय कार्मिकों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत संस्थित विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र निर्गत नहीं रहता है अथवा इसी नियमावली के नियम-10(2) के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित रहती है। अतः चयन समितियों की बैठक आहूत किये जाने के पूर्व यथासंभव नियम-7 के अधीन संस्थित विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र निर्गत कर दिये जाएं और नियम-10(2) के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरणों में अंतिम निर्णय ले लिए जाएं।

6- विभागीय चयन समिति के समक्ष, प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने की पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा

7- अनुरोध है कि कृपया इस विषय पर निर्णय लेते समय उपरोक्त सिद्धान्तों का भली-भांति अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा इन्हें अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जाए, ताकि उनके स्तर पर भी उपरोक्त सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

8- उपरोक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त केवल विभागीय चयन सम्ति/सक्षम प्राधिकारियों के पथ प्रदर्शनार्थ है। ये किसी विषय विशेष पर इस संबंध में लागू नियमों को अवक्रमित नहीं करते है और न ही इस संबंध में सक्षम प्राधिकारियों के विवेकाधिकार से लिए गए निर्णय के विरूद्ध किसी सरकारी सेवक को किसी प्रकार के बचाव का कोई अधिकार प्रदान करते है।

भवदीय,

**दुर्गा शंकर मिश्र**
**मुख्य सचिव**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 4 /2022/13(4)2021/का-1-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश ।
2. अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

**डा0 देवेश चतुर्वेदी**
**अपर मुख्य सचिव।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

# मुख्य आरक्षी आरमोरर से उपनिरीक्षक आरमोरर के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति हेतु चयन के लिये पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी का सेवा विवरण

## भर्ती/रिक्ति का वर्ष–2020

| क्र0 सं0 | ज्येष्ठता सूची का क्रमांक | पात्रता सूची क्रमांक | पीएनओ नं0 | कर्मी का नाम | पिता का नाम | कैडर | वर्तमान तैनाती | | जन्मतिथि | पोषक पद (मुख्य आरक्षी आरमोरर) पर भर्ती की तिथि | मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद की सेवा अवधि चयन वर्ष 2020 (01–07–2020) के लिए | | | सेना का आरमोरर ग्रेड–02 कोर्स अथवा उसके समकक्ष केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का ग्रेड–2 कोर्स उत्तीर्ण करने का दिनांक | वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होने का विवरण | | वार्षिक गोपनीय मन्तव्य (चयन वर्ष के पूर्ववर्ती 05 वर्षों के लिए) | | | | | | | सत्यनिष्ठा (चयन वर्ष से पूर्ववर्ती 05 वर्षों के लिए) | | | | दीर्घ दण्ड –नियम–14(1) पोषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण | | | | लघुदण्ड–नियम–14(2) पोषक पद पर नियुक्ति की तिथि से अद्यावधिक तिथि तक प्रदत्त दण्डों का विवरण | | | | सम्बन्धित कार्मिक के विषय में दण्डोपरान्त विचारण सम्बन्धी सूचना | वर्तमान निलम्बन (निलम्बन की वर्तमान स्थिति डीपीसी के दिनांक तक) | | | लम्बित आपराधिक प्रकरण (जिसमें कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है) | | | विभागीय कार्यवाही –नियम (14(1) के अन्तर्गत | | | कार्मिक के विरूद्ध दण्ड/ अनुशासनिक कार्यवाही–/ अभियोग के विवेचनाधीन होने/आरोप पत्र/परिवाद आदि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय/ अधिकरण के आदेश (स्थगन/विलोपित आदेश की पठनीय प्रति सहित) | | स्थानापन्न एवं तदर्थ रूप से प्रोन्नति कार्मिक के नाम का पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना | संस्तुति | अनुचित (अनुपयुक्त/स्थगित/चयन समिति की संस्तुति बन्द लिफाफे में रखे जाने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाय) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | जनपद–इकाई | परिक्षेत्र–अनुभाग | | | वर्ष | माह | दिन | | वर्ष | सफल, असफल | वर्ष | कब से | कब तक | वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की श्रेणी | खराब, असंतोषजनक प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य परिणाम सहित: प्रतिकूल मन्तव्य को संसूचित करने की तिथि | प्रत्यावेदन–अपील प्राप्त होने की तिथि | प्रत्यावेदन के निस्तारण की तिथि परिणाम सहित | सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक | अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन–अपील प्राप्त होने की तिथि | प्रत्यावेदन निस्तारण की तिथि परिणाम सहित | दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक | दण्ड की प्रकृति सेवा से पदच्युत, सेवा से हटाना तथा पदावनत करना जिसके अन्तर्गत निम्नतर वेतनमान या समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति | दण्डादेश की संख्या | दण्डादेश का दिनांक | दण्डादेश संसूचित करने का दिनांक | दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड/अस्थायी रूप से कितनी अवधि के लिये वेतन वृद्धि रोकी गयी है।) | पूर्व में किस किस चयन वर्ष के सापेक्ष सम्बन्धित कार्मिक को अनुपयुक्त किया गया है। | निलम्बन आदेश संख्या, दिनांक | निलम्बन का कारण (अधिकतम 20 शब्दों में) | बहाली आदेश संख्या , दिनांक | अपराध संख्या/धारा/वर्ष/थाना/जनपद | आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट संख्या व न्यायालय में आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने का दिनांक | अभियोग की अद्यतन स्थिति एवं न्यायालय का निर्णय व दिनांक | जांच संगठन का नाम | आरोप का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में) | कार्मिक के विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत करने का दिनांक | आदेश का संक्षिप्त विवरण(अधिकतम 20 शब्दों में) | परिवाद संख्या एवं वर्ष तथा न्यायालय द्वारा परिवाद में अभियुक्त को सम्मन जारी करने का दिनांक | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**नोटः–**

1–प्रत्येक कॉलम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा। यदि किसी कॉलम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है, तो उस कॉलम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाये।
2–उक्त सूचना **A3** पेज पर **Landscape** में माइकोसाफ्ट एक्सेल में **Kruti Dev Fonts** में ही तैयार की जाये।
3–एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। **Lines/cells** को **merge** न किया जाये।
4–एक ही **cell** में नई लाइन में लिखने हेतु **Alt+Enter** का प्रयोग किया जाये।
5–अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6–बोर्ड प्रपत्र पर अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जाये। ऐसा न होने पर बोर्ड स्तर पर बोर्ड प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।

**संलग्नक की चेक लिस्टः–**

नोटः–निम्नांकित प्रपत्रों की पठनीय छायाप्रतियां उपलब्ध करायी जाये।
1– अभियोग पंजीकृत होने की दशा मे कर्मी के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तो एफ0आई0आर0 की प्रति व आरोप पत्र की प्रति (आरोप पत्र मे अंकित अभियुक्तगण/कर्मी के नाम/पी0एन0ओ0 नम्बर/तैनाती सहित) आरोप पत्र संख्या व दिनांक का उल्लेख कालम संख्या–41, 42 व 43 में किया जाय।
2– विभागीय कार्यवाही की दशा में आरोप पत्र की प्रति।
3–दण्डादेश के विरूद्ध प्राप्त मा0 उच्च न्यायालय/अधिकरण के आदेश/निर्णय की प्रति।
4–बर्खास्तगी अथवा अनुपस्थिति की स्थिति में वार्षिक मन्तव्य न लिखे होने की दशा में ऐसे प्रकरणों में मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति तथा तत्कम में जनपद स्तर पर पारित आदेशों की प्रति।
5–यदि विचारण वर्ष के विगत 05 वर्षों में कर्मी के सेवा में होने के बावजूद भी वार्षिक मन्तव्य अंकित नहीं किया गया है तो उसका कारण।
6–कर्मियों के प्रकरणों से सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन/दण्डादेश निरस्त किये जाने सम्बन्धी आदेशों की पठनीय छायाप्रति।
7–विचारण अवधि के अन्तर्गत ही कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशों का उल्लेख किया जाये। विचारण अवधि के पूर्व व विचारण अवधि के बाद कर्मी को प्रदत्त दण्डादेशो का उल्लेख न किया जाये।
8–विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न होने तक कार्मिक को प्रदत्त दण्डों का विवरण बोर्ड प्रपत्र में अंकित किया जाये। यदि चरित्र पंजिका/ बोर्ड प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ भेजने के उपरान्त कार्मिक को यदि कोई दण्ड प्रदान अथवा विलोपित/निरस्त किया जाता है तथा यदि कार्मिक के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग मे आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है तो उसकी सूचना मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के साथ ही इस बोर्ड को भी सम्बन्धित जनपद/इकाई के द्वारा ईमेल/फैक्स के माध्यस से अवश्य उपलब्ध करायी जाये।
9–प्रतिकूल मन्तव्य की दशा में सेवा अभिलेख में अंकित श्रेणी यथा–असंतोषजनक/खराब/प्रतिकूल स्पष्ट रूप से कालम संख्या–22, 23 व 24 में किया जाय।
10– यदि सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य के विरूद्ध प्रेषित प्रत्यावेदन का निस्तारण सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में नही किया जाता है तो ऐसा गोपनीय वार्षिक मन्तव्य प्रतिकूल नही माना जायेगा।
11–यदि सम्बन्धित कार्मिक की सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी अंकित नही है बल्कि प्रचलित जांच के चलते प्रविष्टि आस्थिगित **(DEFER)** की गयी है तो ऐसे कार्मिक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित मानी जायेगी, व इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति की संस्तुति सहित सक्षम अधिकारी के द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।
12–कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या –4/2022/13 (4) 2021/का–1–2022 दिनांकित 06–05–2022 के प्रस्तर–6 में यह भी उल्लिखित है कि विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों के सही होने पुष्टि/प्रमाणन का दायित्व सम्बन्धित विभाग/कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी का होगा।

चरित्र पंजिका लिपिक के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

क्षेत्राधिकारी कार्यालय के
हस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर

नियुक्ति प्राधिकारी
पुलिस उपमहानिरीक्षक
नाम, पद, मुहर

पुलिस मुख्यालय स्तर पर
दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षर
नाम, पद, मुहर